



प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उ०प्र० लखनऊ।

**लोक निर्माण अनुभाग-11****लखनऊ : दिनांक 30-05-2026**

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2026-27 में रेल उपरिगामी सेतु निर्माण के चालू कार्यों पर धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र संख्या-21522/CE-SEB/ROB/PRJ/2026-27, दिनांक 15-05-2026 एवं पत्र संख्या-22129/CE-SEB/ROB/BAN/2026-27, दिनांक 27-05-2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रेल उपरिगामी सेतु निर्माण के अधोलिखित तालिका में अंकित 02 चालू कार्य पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹0 625.82 लाख (रूपये छः करोड़ पच्चीस लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                                                                                                                                      | स्वीकृत लागत | सेतु अंश/बचत/प्रावैधिक लागत अथवा बचत उपरान्त की लागत | अब तक आवंटन | अवमुक्त धनराशि |             |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                   |              |                                                      |             | अनु० सं०-57    | अनु० सं०-83 | योग    |
| 1        | जनपद कौशाम्बी में उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज-कानपुर रेल सेक्शन के कि०मी० 872/13-15 शुजातपुर रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे सम्पार सं०-15सी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण। | 6573.87      | 6573.87<br>Nil<br>6573.87                            | 6245.17     | 258.98         | 69.72       | 328.70 |
| 2        | जनपद बांदा में झांसी-मानिकपुर रेल सेक्शन के कि०मी० 1313/9-1314 में                                                                                                                | 5985.34      | 5985.34<br>Nil<br>5985.34                            | 5388.95     | 234.10         | 63.02       | 297.12 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

|                                                                                                                                      |  |  |  |  |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|--------|--------|
| नरैनी-कालींजर मार्ग से झांसी-मिर्जापुर मार्ग को जोड़ने हेतु नये बाईपास के निर्माण में आने वाले चार लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण। |  |  |  |  |        |        |        |
| योग:-                                                                                                                                |  |  |  |  | 493.08 | 132.74 | 625.82 |

### **नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों**

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज़ापो में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल/पुनरीक्षित शासनादेश की समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) ₹ 4,93,08,000 (रुपये चार करोड़ तिरानबे लाख आठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20262027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010516 रेल उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) ₹ 1,32,74,000 (रुपये एक करोड़ बत्तीस लाख चौहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20262027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891500 रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

उप सचिव।

**संख्या व दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
- 2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 6- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 10- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
- 11- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
- 13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- 14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 15- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
- 16- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

उप सचिव।